HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA), OCT. 27, 2005 (KRTK. 5, 1927 SAKA) 4048

HARYANA GOVERNMENT TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT Notification

The 27th October, 2005

No. CCP (NCR)/EW/GGN/23/CA/B/2005/1664.- In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act. 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the area within a distance of two kilometres around Government Primary School, Village Jhanjrola, District Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purpose of the said Act, namely:-

Schedule

Schedule of boundaries of the controlled area around Government Primary School at Village Jhanjrola (Hadbast No. 38), district Gurgaon to be read with Drawing No. DTP (G) 1375/05, dated the 27th April, 2005.

North: Starting from point 'A' i.e. South-West corner of rectangle No. 1 of village Jhanjrola (Hadbast No. 38) towards east along the Northern revenue boundary of village Jhanjrola (Hadbast No. 38) upto point 'B' i.e. north-east corner of rectangle No. 14 of Village Jhanjrola (Hadbast No. 38).

East: Thence from point 'B' towards South along Eastern revenue boundaries of village Jhanjrola (Hadbast No. 38) and village Sultanpur (Hadbast No. 39) upto point 'C'i.e. North-East corner of rectangle No. 21 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39), and thence towards South along Eastern boundary of rectangle Nos. 21, 27 and 48 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39) upto point 'D' i.e. South-East corner of rectangle No. 48 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39).

South: Thence from point 'D' towards West along Southern boundary of rectangle Nos. 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42 and 41 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39) upto point 'E' i.e. South-West corner of rectangle No. 41 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39).

West: Thence from point 'E' towards North along the Western boundary of rectangle Nos. 41, 34, 14, 8 and 3 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39) and along Western revenue boundary of village Jhanjrola (Hadbast No. 38) upto point 'A' i.e. the point of start.

SHAKUNTLA JAKHU,

Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department.

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA), OCT. 27, 2005 (KRTK. 5, 1927 SAKA) 4047

हरियाणा सरकार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना

दिनांक 27 अक्तूबर, 2005

संख्या सी0 सी0 पी0 (एन0 सी0 आर0) ई0 डब्लयू0/जी0 जी0 एन0/23/सी0ए0/बी0/2005/1664.— पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र नियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हिरयाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट और इससे संलग्न योजना में दर्शाये गये, गावं झांझरोला जिला गुड़गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के इर्द गिर्द दो किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये नियन्त्रित क्षेत्र घोषित करते हैं, अर्थात् :—

अनुसूची

गांव झांझरोला (हदबस्त संख्या 38), जिला गुड़गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के इर्द गिर्द नियन्त्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डीoटीoपीo (जी) 1375/2005, दिनांक 19 अप्रैल, 2005, के साथ पढ़ा जाये।

- उत्तरः बिन्दु 'ए' अर्थात् गांव झांझरोला (हदबस्त संख्या 38) की आयत संख्या 1 का दक्षिण—पश्चिम कोना है, से शुरु करते हुये, पूर्व की ओर गांव झांझरोला (हदबस्त संख्या 38) की उत्तरी राजस्व सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'बी' तक, जो कि गांव झांझरोला (हदबस्त संख्या 38) की आयत संख्या 14 का उत्तर—पूर्व कोना है।
- पूर्वः तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से दक्षिण की ओर गांव झांझरोला (हदबस्त संख्या 38) तथा गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की पूर्वी राजस्व सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'सी' तक, जो कि गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 21 का उत्तर—पूर्व कोना है तथा उसके बाद दक्षिण की ओर गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 21, 27 तथा 48 की पूर्वी सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'डी' तक, जो कि गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 48 का दिक्षण—पूर्व कोना है।
- दक्षिणीः तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से पश्चिम की ओर गावं सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42 तथा 41 की दक्षिणी सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'ई' तक, जो कि गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 41 का दक्षिण—पश्चिम कोना है।
- पश्चिमः तत्पश्चात् बिन्दु 'ई' से उत्तर की ओर गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 41, 34, 14, 8 तथा 3 की पश्चिमी सीमा के साथ—साथ तथा गांव ं झांझरोला (हदबस्त संख्या 38) की पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'ए' तक जो प्रारम्भ का बिन्दु है।

शकुन्तला जाखू, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।